उत्तर प्रदेश शासन

नागरिक उड्डयन अनुभाग

संख्या :69/2016/845/छप्पन-2016-36/2014

लखनऊ : दिनांक : 09 सितम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के अधीन परिचालन इकाई, उ0प्र0, लखनऊ में पायलट (रोटर विंग) के पद पर कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1268/छप्पन-2014-19/2011, दिनांक 31.7.2014 द्वारा कैप्टन दिनेश श्रीवास्तव को रूपये 2,50,000/- (रूपये दो लाख पचास हजार मात्र) के नियत मासिक पारिश्रमिक तथा अनुमन्य विशेष उड़ान भत्ता पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए संविदा पर नियुक्त किया गया था, जिसके अनुपालन में कै0 दिनेश श्रीवास्तव द्वारा 25 अगस्त, 2014 को निदेशालय में कार्यभार ग्रहण किया गया। इस प्रकार कै0 श्रीवास्तव की संविदा अवधि 24 अगस्त, 2016 को समाप्त हो रही है। कै0 दिनेश श्रीवास्तव, पायलट (रोटर विंग) के उड़ान लाइसेन्स पर निदेशालय की फ्लीट में उपलब्ध बेल-412 तथा अगुस्ता ए-109-एस हेलीकॉप्टर पर करेन्ट है और वर्तमान में कै0 श्रीवास्तव अगुस्ता ए-109-एस हेलीकॉप्टर पर करेन्ट हैं तथा उनके द्वारा अगुस्ता ए-109-एस हेलीकॉप्टर के को-पायलट के रूप में उड़ान कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

2- अत: शासनादेश दिनांक 9.9.2014 में निहित नीतिगत निर्णय के आलोक में एवं शासनादेश दिनांक 26 फरवरी, 2015 द्वारा टर्वोप्राप वायुयानों/हेलीकॉप्टर के परिचालन हेतु अर्ह फिक्स्ड विंग एवं रोटर विंग के संविदा सेवा के पायलटों को रूपये 4.50 लाख प्रतिमाह के पारिश्रमिक का भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसी शासनादेश के अन्तर्गत कै0 श्रीवास्तव को दिनांक 26 फरवरी, 2015 से रूपये 4.50 लाख प्रतिमाह तथा अनुमन्य विशेष उड़ान भत्ते के अतिरिक्त 05 प्रतिशत वार्षिक वेतनवृद्धि का भुगतान किया जा रहा है तथा कै0 दिनेश श्रीवास्तव की सेवाओं की निदेशालय में अभी आवश्यकता है। कै0 श्रीवास्तव की सेवाओं की आवश्यकता के दृष्टिगत श्री राज्यपाल इनकी संविदा अवधि 02 वर्ष (दो वर्ष) के लिए अग्रेत्तर अर्थात 25 अगस्त, 2016 से 24 अगस्त, 2018 तक वर्तमान मासिक पारिश्रमिक रूपये 4.50 लाख (रूपये चार लाख पचास हजार मात्र) तथा अनुमन्य विशेष उड़ान भत्ता एवं 05 प्रतिशत की वार्षिक वेतनवृद्धि के आधार पर संविदा अवधि पूर्व शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- कै0 दिनेश श्रीवास्तव, पायलट (रोटर विंग) को उक्त संविदा अवधि में उपर्युक्त नियत मासिक पारिश्रमिक व अनुमन्य विशेष उड़ान भत्ते के अतिरिक्त अन्य भत्ते देय नहीं होंगे। उपर्युक्त पूर्व शर्तों के अधीन रहते हुए उन पर संविदा सेवा अवधि में अन्य शर्तें वही

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लागू होंगी जो अस्थायी कर्मचारियों पर लागू होती हैं। वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 के सहायक नियम- 157-ए तथा तत्सम्बन्धी शासनादेशों के अन्तर्गत उन्हें अस्थायी राज्य कर्मचारियों की भाँति अवकाश देय होगा।

4- कै0 दिनेश श्रीवास्तव से संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

कै0 दिनेश श्रीवास्तव, पायलट (संविदा सेवा)
नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0,
लखनऊ।

संख्या : 69/2016/845(1)/छप्पन-2016 तददिनांक ।

1- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ कि कै0 दिनेश श्रीवास्तव, पायलट (रोटर विंग) से निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- महालेखाकार-प्रथम (लेखा/हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

7- कार्मिक अनुभाग-1

8- नियोजन अनुभाग-4

9- सम्बन्धित पायलट की व्यक्तिगत पत्रावली के लिए।

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।